UPHR010063102025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–129/2025

हसन रजा बनाम रणजीत सिंह आदि

दिनांकः 10.03.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

2. प्रार्थी हसन रजा के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र वास्ते अन्तरित किये जाने वाद अन्तर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना जा चुका है।

3. प्रार्थना–पत्र 3 ग में प्रार्थी का कथन है कि मूल वाद संख्या 654/2017, रणजीत सिंह आदि बनाम हसन रजा वास्ते संविदा पूर्ति विपक्षीगण द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) पूर्वी, हरदोई मे योजित किया गया, जो न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), हरदोई द्वारा दिनाँक 27.04.2023 को एकपक्षीय रूप से डिकी किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत इजरा वाद संख्या 18/2023, रणजीत सिंह आदि बनाम हसन रजा, जो न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी० के समक्ष विचाराधीन है। मद्यून द्वारा इजरा वाद के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रकीर्ण वाद संख्या 271/2023, हसन रजा बनाम रणजीत सिंह आदि, जो न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) के समक्ष विचाराधीन है। मद्यून द्वारा एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किये जाने का आवेदन प्रकीर्ण वाद संख्या 219/2023, हसन रजा बनाम रणजीत सिंह, जो न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), हरदोई के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त तीनों वाद मूल वाद संख्या 654/2017 में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), हरदोई द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री दिनांकित 27.04.2023 से सम्बन्धित है। उपरोक्त वर्णित तीनों वाद पहले एक साथ न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), हरदोई के समक्ष विचाराधीन थे। उपरोक्त वर्णित तीनों वादो में से इजरा वाद संख्या 18/2023, न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, हरदोई को अन्तरित कर दिया गया, जिस कारण उपरोक्त वादों में समुचित रूप से सुनवायी नहीं हो पा रही है। उक्त आधार पर उक्त तीनों पत्रावलियों की सुनवाई एक ही न्यायालय से कराने एवं स्थानांतरण के संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

4. स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र 3 ग के प्रकाश में सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण से आख्या आहूत की गयी, जो पत्रावली में संलग्न हैं।

5. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है, कि उपरोक्त तीनों वाद (इजरा वाद संख्या 18/2023, प्रकीर्ण वाद संख्या 271/2023 एवं प्रकीर्ण वाद संख्या

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 10:42:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

219/2023) मूलतः एक ही आदेश/डिक्री दिनांकित 27.04.2023 से उद्भूत हुए हैं। चूँकि तीनों वादों की विषय–वस्तु, पक्षकार और विवाद का मूल आधार एक ही है। अतः ऐसे में पक्षकारों की सुगमता की दृष्टि से तीनों वादों का एक ही न्यायालय में विचारण हेतु स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायार्थ प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 3 ग स्वीकर किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद संख्या 271/2023, हसन रजा बनाम रणजीत सिंह आदि एवं प्रकीर्ण वाद संख्या 219/2023, हसन रजा बनाम रणजीत सिंह की पत्रावलियाँ लंबित न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), हरदोई से वापस ली जाती हैं। उक्त दोनों पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, हरदोई को स्थानांतरित किया जाता है।

दिनांक: 10.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।